Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

209-2025/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, DECEMBER 17, 2025 (AGRAHAYANA 26, 1947 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA

Notification

The 17th December, 2025

No. 33-HLA of 2025/74/28908.— The Haryana Panchayati Raj (Second Amendment) Bill, 2025 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 33- HLA of 2025

A

BILL

further to amend the Haryana Panchayati Raj Act, 1994.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Haryana Panchayati Raj (Second Amendment) Act, 2025. Short title and commencement.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 30th October, 2025.

2. In section 11 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994,- Amendment of section 11 of Haryana Act 11 of 1994.

(i) in sub-section (5), after the word "extraordinary", the word "general" shall be omitted;

(ii) in sub-section (7A),-

(a) for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted;

(b) the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that to consider and approve the identified eligible beneficiaries of any Government Scheme or to prepare a Gram Panchayat Development Plan, forty percent of the members of Gram Sabha shall form the quorum. If at the time fixed for the meeting, there is no quorum, the Sarpanch shall wait for one hour and if within such period of one hour there is no quorum, the Sarpanch shall adjourn the meeting to such time on the following day or such day as he may decide. The business only, which was to be brought before the scheduled meeting, shall be brought and transacted in the adjourned meeting and thirty percent of the members of Gram Sabha shall form the quorum of such meeting. In case there is no quorum of thirty percent of the members of Gram Sabha in the adjourned meeting then in the next meeting the quorum shall be twenty percent of the members of Gram Sabha.".

Repeal and savings.

3. (1) The Haryana Panchayati Raj (Amendment) Ordinance, 2025 (Haryana Ordinance No. 3 of 2025), is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

As per existing provision, approval of the eligibility of identified beneficiaries of any government scheme and preparation of Gram Panchayat Development Plan are done by the Gram Sabha in its meeting with a quorum of one-tenth of its members or three hundred members, whichever is less, whereas to consider and approve the identified beneficiaries of any government scheme or to prepare a Gram Panchayat Development Plan, it is necessary to ensure presence of more members of Gram Sabha in its meeting to bring more transparency in the process. Approval of the eligibility of identified beneficiaries of Mukhya Mantri Gramin Basti Yojana by Gram Sabha is in process.

Hence this Bill.

KRISHAN LAL PANWAR,
Development and Panchayats Minister,
Haryana.

Chandigarh:
The 17th December, 2025.

RAJIV PRASHAD,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2025 का विधेयक संख्या 33 एच.एल. ए.

हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025
हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 को आगे संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है।

(2) यह 30 अक्तूबर, 2025 से लागू हुआ समझा जाएगा।

1994 के हरियाणा अधिनियम 11 की धारा 11 का संशोधन ।

2. हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 11 में,–

(i) उप–धारा (5) में, "विशेष महाधिवेशन" शब्दों के स्थान पर, "विशेष अधिवेशन" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप–धारा (7 क) में,–

(क) अंत में विद्यमान चिह्न "।" के स्थान पर ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–

"परन्तु किसी सरकारी स्कीम के चिह्नित पात्र लाभार्थियों पर विचार करने और अनुमोदित करने के लिए अथवा ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने हेतु, ग्राम सभा के चालीस प्रतिशत सदस्यों से गणपूर्ति होगी। यदि अधिवेशन हेतु नियत समय पर गणपूर्ति नहीं होती है, तो सरपंच एक घंटे तक प्रतीक्षा करेगा और यदि एक घंटे की ऐसी अवधि के भीतर भी गणपूर्ति नहीं होती है, तो सरपंच, अधिवेशन को अगले दिन या ऐसे दिन के ऐसे समय तक, जो वह निश्चित करे, स्थगित कर देगा। केवल वही कारबार, जिसे अधिवेशन के समक्ष लाया जाना था, स्थगित अधिवेशन में लाया जाएगा और संव्यवहारित किया जाएगा और ग्राम सभा के तीस प्रतिशत सदस्यों से ऐसे अधिवेशन की गणपूर्ति होगी। यदि स्थगित अधिवेशन में ग्राम सभा के तीस प्रतिशत सदस्यों से गणपूर्ति नहीं होती है, तो आगामी अधिवेशन में ग्राम सभा के बीस प्रतिशत सदस्यों से गणपूर्ति होगी।"।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

3. (1) हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (2025 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 3), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

वर्तमान प्रावधान के अनुसार, किसी भी सरकारी योजना के चिन्हित लाभार्थियों की पात्रता का अनुमोदन और ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने का कार्य ग्राम सभा द्वारा अपनी बैठक में अपने सदस्यों का एक बटा दस अथवा तीन सौ सदस्यों, जो भी कम हो, की गणपूर्ति के साथ किया जाता है, जबकि किसी भी सरकारी योजना के चिन्हित लाभार्थियों पर विचार और अनुमोदन करने या ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिए प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाने हेतु, ग्राम सभा के अधिक से अधिक सदस्यों की बैठक में उपस्थिति सुनिश्चित करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस्ती योजना के चिन्हित लाभार्थियों की पात्रता का ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन प्रक्रियाधीन है।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

कृष्ण लाल पंवार,
विकास एवं पंचायत मंत्री,
हरियाणा।

———————————

चण्डीगढ़:
दिनांक 17 दिसम्बर, 2025.

राजीव प्रसाद,
सचिव।

12288—H.V.S.—H.G.P., Pkl.